



Neutral Citation No. I - 2026:AHC:129424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19523/2026

श्यामराज

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: सत्य प्रिया मिश्रा

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित विद्वान एजीए को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना-पिपराइच, जिला-गोरखपुर में मामला अपराध संख्या 750/2026 में बीएनएस, की धारा 61(2), 318(4), 319(2), 351(3), 338, 336(3), 339, 340(2) के तहत जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक दिनांक 10.08.2023 के पंजीकृत बिक्री विलेख का गवाह है। न तो आवेदक ने पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है और न ही वह इसका गवाह है। इस मामले के अलावा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 20.04.2026 से जेल में बंद है। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. विद्वान एजीए ने आवेदकों को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

6. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक **श्यामराज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भा.द.सं. की धारा 229-ए(समकक्ष धारा 269 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं. (समकक्ष धारा 84 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो पर्याप्त कारण के बिना कानून के अनुसार, आईपीसी की धारा 174-ए (समकक्ष धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) आवेदक (1) मामले की सुनवाई, (2) आरोप तय करने और (3) द.प्र.सं. की धारा 313 (समकक्ष धारा 351 बीएनएसएस) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-आई)

25 जून 2026

आशुतोष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।